भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2017

प्रैस रिलीज़

आयकर विभाग आरंभ कर रहा है स्वच्छ धन अभियान

आयकर विभाग ने आज **स्वच्छ धन अभियान** आरंभ किया है । इस अभियान के आरंभिक चरण में 9 नवम्बर से 30 दिसम्बर, 2016 तक प्रचुर मात्रा में जमा की गई नकदी की ई-वेरिफिकेशन शामिल है । विमुद्रीकरण आंकड़ों की आयकर विभाग के डाटाबेस में उपलब्ध सूचना के साथ तुलना करने के लिए डाटा एनेलिटिक्स का प्रयोग किया गया है । पहले बैच में ऐसे **लगभग 18 लाख व्यक्तियों की पहचान की गई है** जिनके मामले में नकदी का संव्यवहार (transactions) करदाता के प्रोफाइल से मेल नहीं खा रहा है ।

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अनुपालन लागत घटाने के लिए अपने संसाधनों का श्रेष्ठ प्रयोग करते हुए **इन संव्यवहारों की ऑनलाइन वेरिफिकेशन** को सक्रिय किया है । इन मामलों के संबंध में सूचना https://incometaxindiaefiling.gov.in पोर्टल पर पैन होल्डर की ई-फाइलिंग विंडो में (लॉगइन के पश्चात) उपलब्ध की जा रही है । पैन होल्डर, पोर्टल के **"कम्प्लायंस"** सैक्शन के अंतर्गत **"कैश ट्रांसैक्शन्स 2016"** लिंक का प्रयोग करते हुए इस सूचना को देख सकते हैं । करदाता आयकर कार्यालय जाए बिना ऑनलाइन स्पष्टीकरण दाखिल कर सकेंगे ।

करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन रिस्पॉन्स प्रस्तुत करने के लिए ई-मेल और एसएमएस भेजे जाएंगे । जिन करदाताओं ने ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे 'रजिस्टर यूअरसेल्फ' लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करें । रजिस्टर्ड करदाता इलैक्ट्रॉनिक क़म्यूनीकेशन प्राप्त करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपना ई-मेल एड्रैस तथा मोबाइल नंबर अद्यतन करें व जांच लें ।

करदाता को ऑनलाइन रिस्पॉन्स प्रस्तुत करने में सहायता देने के लिए पोर्टल पर विस्तृत **यूज़र गाइड तथा क्विक रैफरेंस गाइड** उपलब्ध है । यदि ऑनलाइन रिस्पॉन्स प्रस्तुत करने में कोई कठिनाई हो तो हैल्पडेस्क से **1800 4250 0025** पर संपर्क किया जा सकता है ।

अनुमत्य जोखिम मानदण्ड (approved risk criteria) पर आधारित मामलों को जांच के लिए चुनने हेतु डाटा एनेलेटिक्स का प्रयोग किया जाएगा । यदि मामले को जांच के लिए चुन लिया जाता है तो अतिरिक्त सूचना और उसकी प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध भी इलैक्ट्रॉनिक रूप से संसूचित किया जाएगा । नवीन सूचना, प्रतिक्रिया और डाटा एनेलेटिक्स के प्राप्त होने पर ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना अद्यतित होकर सक्रिय हो जाएगी ।

उपलब्ध सूचना के आधार पर करदाता की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा । यदि नकद के स्रोत का स्पष्टीकरण उचित पाया जाएगा तो आयकर कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी और जांच को बंद कर दिया जाएगा । यदि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत नकद जमा की घोषणा की जाती है तब भी जांच को बंद कर दिया जाएगा ।

आयकर विभाग के किसी नोटिस और आयकर अधिनियम तथा लागू अन्य नियमों के अंतर्गत कार्रवाई से बचने के लिए इस फेज़ में शामिल करदाताओं को अपनी प्रतिक्रिया **पोर्टल पर 10 दिन के भीतर** देनी होगी ।

(मीनाक्षी जे गोस्वामी)
आयकर आयुक्त
(मीडिया और तकनीकी नीति)
सरकारी प्रवक्ता, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड